Form No. III

Qn'vgdke

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा बनाम **चेतना वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 77(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र (रै.वि.)** नं0 **011** सन् **2025**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.03.2025	प्रार्थी कंपनी के प्रार्थना–पत्र पर पत्रावली सिगहे से तलब की गई। पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी कंपनी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवानी प्रकरण में प्रार्थी कंपनी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 77(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत प्रस्तुत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.05.2022 से अप्रार्थी के हक हिस्से अनुसार मुआवजा राशि वास्ते मुआवजा राशि सिविल डिपोजिट किये जाने के हेतु अधिनियम की धारा 77(2) के तहत प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर प्रेषित किये जाने के आदेश दिये गये है। उक्त प्रार्थना–पत्र न्यायालय श्रीमान् के निर्णित प्रकरण संख्या 077/2019 (रै.वि.) निर्णय दिनांक 20.10.2021 के निर्णय की पालना में पक्षकारान द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त नहीं करने से प्रकरण वास्ते सिविल डिपोजिट की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर द्वारा अधिनियम 2013 की परिधि में नहीं आने से चैक प्राधिकरण में जमा नहीं किये जाकर मूल ही चैक मय प्रार्थना–पत्र के न्यायालय को लौटाये गये है, जो कि आज दिनांक तक न्यायालय में ही सुरक्षित है, अतः उक्त प्रकरण की पत्रावली का सिगहे से तलब फरमाया जाकर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जाकर अप्रार्थी के हक हिस्से अनुसार मुआवजा राशि वास्ते मुआवजा राशि सिविल डिपोजिट किये जाने के हेतु माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, चित्तौड़गढ़ भिजवाये जाने का आदेश दिलवाया जावे। प्रार्थना–पत्र शामिल पत्रावली रहे। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावें। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 18.05.2022 अप्रार्थी की मुआवजा राशि को वास्ते सिविल डिपोजिट सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्जन पुनर्वासन	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर में सिविल डिपोजिट किये जाने के आदेश दिये गये है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2022/165 दिनांक 09.09.2022 से माननीय न्यायालय भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर द्वारा अधिनियम 2013 की परिधि में नहीं आने से चैक प्राधिकरण में जमा नहीं किये जाकर मूल ही चैक मय प्रार्थना–पत्र के न्यायालय को लौटाये गये है। उक्त पत्र शामिल पत्रावली है। न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 18.05.2022 से अप्रार्थी की मुआवजा राशि को सिविल डिपोजिट किये जाने बाबत् आदेश दिये गये है, ऐसी स्थिति में प्रकरण को वास्ते सिविल डिपोजिट किये जाने बाबत् माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, चित्तौड़गढ़ को भिजवाया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 077/2019 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम चेतना वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (02) एव (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 20.10.2021 से आराजीयात जैरबहस के खनन/आनुषांगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 25,46,350/– अक्षरे पच्चीस लाख छियालीस हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र मुआवजा राशि का चैक अप्रार्थी द्वारा प्राप्त नहीं करने से मुआवजा राशि माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, चित्तौड़गढ़ को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी कंपनी से प्राप्त चैक जो कि रजिस्ट्रार भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर के नाम पर जारी किया गया है को प्रार्थी कम्पनी को लौटाया जावें एवं निर्धारित मुआवजा राशि का सिविल डिपोटिज हेतु नवीन चैक जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखा जावें। पत्रावली बाद पालना के प्रार्थी कम्पनी द्वारा नवीन चैक प्रस्तुत करने पर पुनः पेश हों।

-S/D-
(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़
18.03.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official